COURT FEE कोर्ट फी Rs.10 INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE कोर्ट फी Rs.10 INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

(124) (1)

न्यायालय माननीय प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, बेंच भोपाल

PBR/अपील/होशंगाबाद/स्टांप अधि/2017/4943 प्रकरण क्रमांक :

महेन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड होशंगाबाद द्वारा

अजीत विश्वकर्मा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रसूलिया होशंगाबाद .... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. **म.प्र. शासन** द्वारा उप पंजीयक सोहागपुर
2. **साहब सिंह** आ. गिरधारीलाल

निवासी ग्राम रेवा वनखेड़ी, तह. वनखेड़ी,

जिला–होशंगाबाद ....उत्तरवादीगण

अपील धारा 47क (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत

8.11.2017

अपीलार्थी यह अपील श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/बी.103/15/16 म.प्र. शासन विरुद्ध महेन्द्रा रुरल फाइनेंस लिमिटेड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.04.2015 के विरुद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लेखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है :–

8.11.17

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/होशंगाबाद/स्टाम्प/2017/4943

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-18	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री सुनील पाण्डे द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-4-15 के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग 1 वर्ष 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब क्षमा हेतु संहिता की धारा 5 का आवेदन व शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही विलम्ब का कारण स्पष्ट किया गया है । ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है । अतः यह अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	